छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

गुरूवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 (माघ 19,1945)

लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2023–2024 की शेष अवधि तथा वर्ष 2024–2025 की अवधि हेतु क्रमशः नौ–नौ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

गुरूवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 को लोकलेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन के प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकृति दी गई। समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में **शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024** को अपरान्ह् 4:00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा **शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2024** को **अपरान्ह् 1:30 बजे से** विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक – दो में होगी।

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना **मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024** को **अपरान्ह् 1:30 बजे तक** विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान **शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024** को **प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह् 4:00 बजे तक** विधानसभा भवन स्थित **समिति कक्ष क्रमांक–02** में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

दिनेश शर्मा
सचिव.
छत्तीसगढ़ विधान सभा